ऑन लाईन नं. GCMS 2022/12

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 01/2022

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री आकाश नागपाल पुत्र स्व. श्री संदीप नागपाल (विक्रता)
   मैसर्स : राज फ्लेवरस इण्डिया प्रा. लि. एफ 21–22, उद्योग विहार, फेज–1, श्रीगंगानगर, निवासी 158 गांधीनगर, श्रीगंगानगर
2. श्री राजेन्द्र कुमार नागपाल, (निदेशक)
   मैसर्स :– राज फ्लेवरस इण्डिया प्रा. लि. एफ 21–22, उद्योग विहार, फेज–1, श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक : 18.05.2022**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर में पदस्थापित है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है। जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 09.11.2011 के गजट में भाग 1(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश कमांक एच/एफएसएसए/नोटिसफिकेशन/2011/698 दिनांक 16.11.2011 एवं गजट नोटिसफिकेशन दिनांक फरवरी 10, 2012 के गजट के भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ के द्वारा क्षेत्र आवंटित किया गया है कि फोटो प्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री विनोद कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2021 को दोपहर बाद 4.00 पीएम पर मैसर्स : राज फ्लेवरस इण्डिया प्रा. लि. एफ 21–22, उद्योग विहार, फेज–1, श्रीगंगानगर,. निवासी 158 गांधीनगर, श्रीगंगानगर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, इस समय संस्थान पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री आकाश नागपाल पुत्र स्व. श्री संदीप नागपाल उपस्थित मिले। मौके पर प्रस्तुत फर्म का खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रमाणित छायाप्रतियां, स्वयं की एव गवाह की आईडी प्रूफ की छायाप्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर संस्थान में खाद्य पदार्थ **सिनथैटिक सौरप (ऑरेंज)** आम जनता को विक्रय हेतु 200 कार्टर्न (प्रत्येक में 12 बोतल, प्रत्येक बोतल 750 एमएल) रखे हुए थे, जिसके अवमानक/मिसब्राण्डेड होने का शक होने पर 4 बोतल प्रत्येक 750 एमएल खाद्य पदार्थ **सिनथैटिक सौरप (ऑरेंज)** वास्ते नमूना जांच एफएसएसए के तहत नमूनीकरण हेतु खरीदने के लिए गवाहान के सामने विकेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया था विक्रय मूल्य 408/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। माल खरीद रसीद एवं प्रपत्र 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता व गवाह के समक्ष खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **सिनथैटिक सौरप (ऑरेंज)** के प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर **के–1149** अंकित कर गवाह एवं खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये तथा मैने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं कमांक के–1149 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाई प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई। प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया। समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की जिसेस पढकर, पढाकर, समझाकर व सही मानकर होश हवास में मैने, गवाह व भागीदार ने हस्ताक्षर किये। असल मौका फर्द न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/106/एक्ट/2021/106 दिनांक 12.04.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1149 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री आकाश नागपाल पुत्र स्व. श्री संदीप नागपाल, मैसर्स : राज फ्लेवरस इण्डिया प्रा. लि. एफ 21–22, उद्योग विहार, फेज–1, श्रीगंगानगर, निवासी 158 गांधीनगर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Synthetic Syrup Orange (Raj.)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 07.02.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य पदार्थ सिनथैटिक सीरप (औरंज) को जांच में अमानक इस कारण बतलाया गया है कि लेवल में Contains:-INS 211 में Permitted Synthetic के पश्चात "Orang" का प्रकाशन नहीं है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में जारी नोटिफिकेशन में केवल Permitted Synthetic का प्रकाशन ही प्रयाप्त था और इसी अनुरूप खाद्य प्रदार्थ की बोतल में लेवल चस्पा थे लेकिन बाद में जिस स्वाद का Permitted Synthetic है, उसका भी नाम प्रकाशन आवश्यक हो गया। अव समस्त बोतलों पर नये नियमानुसार लेवल चस्पा किये जाने लगे है। इस प्रकार प्रार्थी संस्थान के द्वारा किसी प्रकार की विधिक अवहेलना नहीं की गई है, इसलिये निवेदन है कि प्रकारण को दाखिल दफतर किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Synthetic Syrup Orange (Raj.)** का सैम्पल **के–1149** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/106/एवट/2021/106 दिनांक 12.04.2021 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है किखाद्य पदार्थ सिनथैटिक सीरप (औरंज) को जांच में अमानक इस कारण बतलाया गया है कि लेवल में Contains:-INS 211 में Permitted Synthetic के पश्चात "Orang" का प्रकाशन नहीं है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्व में जारी नोटिफिकेशन में केवल Permitted Synthetic का प्रकाशन ही प्रयाप्त था और इसी अनुरूप खाद्य प्रदार्थ की बोतल में लेवल चस्पा थे लेकिन बाद में जिस स्वाद का Permitted Synthetic है, उसका भी नाम प्रकाशन आवश्यक हो गया। अब समस्त बोतलों पर नये नियमानुसार लेवल चस्पा किये जाने लगे है। इस प्रकार प्रार्थी संस्थान के द्वारा किसी प्रकार की विधिक अवहेलना नहीं की गई है, इसलिये निवेदन है कि प्रकारण को दाखिल दफतर किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Synthetic Syrup Orange (Raj.) "Code No and Sr.No.. K-1149 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त आकाश नागपाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त आकाश नागपाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Synthetic Syrup Orange (Raj.)** "बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)